न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37 / 2026

इंडसइंड बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 2401, जनरल थिमाइया रोड़ (केन्टोनमेन्ट), पूणे—411001 (इण्डिया) व 6th Floor, Unique Aspire Building, Near Amarpali circle, Vaishali Nagar, Jaipur- 302021 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री निहाल सिंह

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. Mr. Manoj S/o Harlal singh Kulhari R/o Ward no. 3, jejusar, Jhunjhunu Rajasthan- 333707
2. Mr. Roshan W/o Manoj R/o Ward no. 3, jejusar, Jhunjhunu Rajasthan- 333707

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत

——

उपस्थितः—
एडवोकट श्री रजत वालिया— प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 25.02.2026

प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक बैंकिग वित्तीय संस्थान है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है जिसका कार्य क्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है जिसका शाखा कार्यालय जयपुर पर स्थित है। प्रार्थी बैंकिग गतिविधियां एवं उससे संबंधित क्षेत्र जिसमें वित्तीय क्षेत्र सम्मिलित है का कार्य करती है एवं प्रार्थी बैंक की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री निहाल सिंह को श्रीमान् के समक्ष समस्त कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, प्लीडिंग्स एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी कम्पनी के हक में प्रार्थना पत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र उक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने इंडसईंड बैंक लिमिटेड से जरिये एग्रीमेंट संख्या RJH01388L दिनांक 09.05.2023 राशि 983430.00 / —रुपये (Rupees Nine Lakh Eighty Three Thousand Four Hundred Thirty Only) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी चल सम्पत्ति "BOLERO PIK-UP 4WD PS VS VI जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 RJ18GC5133 इंजन नं0 TTP1D17843 तथा चेसिस नं0 MA1ZC4TTKP1D41919 है को ऋणदाता बैंक के पास रहन किया और उस पर निर्मित तामीरात को भी ऋणदाता बैंक के पास आडमान किया। अप्रार्थीगण / ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को ऋणदाता प्रार्थी बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त ऋण खाते को दिनांक 05.08.2025 को एनपीए घोषित कर दिया गया व अप्रार्थीगण / ऋणीगण के ऋण खातों में कुल 604562. 23 / रुपये (Rupees Six Lakh Four Thousand Five Hundred Sixty Two and Twenty Paisa Only) की राशि दिनांक 05.08.2025 तक मय ब्याज शामिल करते हुए बकाया निकलती है तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे भी बकाया निकलते हैं। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 08 अगस्त 2025 को रजिस्टर्ड नोटिस उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये गये जिसकी रजिस्टर्ड डाक प्रेषित रसीद पत्रावली के साथ संलग्न है। उक्त नोटिस की जानकारी व प्राप्ति के पश्चात भी प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण/ऋणीगण द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है, ना ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया है। अप्रार्थीगण/ऋणीगण द्वारा ऋणदाता कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुनर्भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है, उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है "BOLERO PIK-UP 4WD PS BS VI जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 RJ18GC5133 इंजन नं0 TTP1D17843 तथा चेसिस नं0 MA1ZC4TTKP1D41919 है। " अप्रार्थीगण पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं। अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) के अनुसार 60 दिवस के भीतर कुल ऋण राशि 983430.00/– रुपये (Rupees Nine Lakh Eighty Three Thousand Four Hundred Thirty Only) मय ब्याज व अन्य खर्चे शामिल करते हुए जमा करवानी थी, परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवानी थी परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई। इस कारण उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी द्वारा चरण संख्या–5 में वर्णित उक्त बंधकशुदा सम्पत्ति के कब्जे व नीलामी की कार्यवाही की जानी आवश्यक हो गई है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उपरोक्त बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है इसलिए प्रार्थी कम्पनी ने माननीय न्यायालनय के समक्ष सिक्योरिटी एवं सिक्योरिटी से सबंधित दस्तावेज कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने एवं कायम रखने के लिए यह प्रतिभूति आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय अन्तरण (नीलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तत करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति जो कि "BOLERO PIK-UP 4WD PS BS VI जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 RJ18GC5133 इंजन नं0 TTP1D17843 तथा चेसिस नं0 MA1ZC4TTKP1D41919 है।" आडमान किये गये सिक्योरिटी जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के चरण संख्या–5 में दिया गया है, का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी की निजी सम्पत्ति अचल सम्पत्ति जो कि "BOLERO PIK-UP 4WD PS BS VI जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 RJ18GC5133 इंजन नं0 TTP1D17843 तथा चेसिस नं0 MA1ZC4TTKP1D41919 है।" का पजेशन प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण मार्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं